प्रेस नोट-दिनांक 03.08.2024

□ अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं गो तस्करों के विरुद्ध चन्दौली पुलिस की कार्रवाई जारी

□ पुलिस की सक्रियता से शातिर गो तस्कर को किया गया गिरफ्तार

□ थाना चकिया पुलिस द्वारा गोवंश की तस्करी कर ले जा रहे 11 राशि गोवंश के साथ चार अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया आशुतोष के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा गठित टीम ने गोवंशो को पैदल तस्करी कर ले जाते समय 11 राशि गोवंशो के साथ 04 अभियुक्तगण को मूसाखाड़ बन्धी के आगे पहाड़ी पर वहदग्राम मूसाखाड़ से बरामदगी की गयी । जिसके संबंध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 131/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण –

पूछताछ करने पर बता रहे है कि हम लोग घुमन्तू पशुओ को जंगलो से तथा कुछ गायो को गांव से एक एक करके खरीदकर इकट्ठा करते है जब पर्याप्त मात्रा मे हो जाते है तो हम लोग इसी रास्ते बिहार ले जाते है जहां मेला लगता है वहां से बडी गाडियो मे लादकर पश्चिम बंगाल (पंडुआ) को लेकर चले जाते है जहां इन्हे वध हेतु ऊंचे दामो मे बेचकर अच्छा पैसा कमाते हुए तथा जो भी पैसा मिलता है हम लोग उसे आपस मे बराबर बराबर बांट लेते है।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1.गोविन्द पुत्र रामदुलार निवासी ग्राम बनरसिया थाना चकिया जिला चन्दौली

2.रमेश कुमार पुत्र रामभजन निवासी ग्राम वनरसिया थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.राहुल कुमार पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम मुसाहिबपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली

4.विजय कुमार पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम मुसाहिबपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1.मु0अ0सं0- 131/2024 धारा- 3/5A/8 गो0वध नि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1.11 राशि गोवंश

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी टीम का विवरण-</u>

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 परमानन्द त्रिपाठी थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 गिरीशचन्द्र राय थाना चकिया जनपद चन्दौली

4.उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता थाना चकिया जनपद चन्दौली